

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****IN****ORIGINAL APPLICATION NO. 254 OF 2025****IN THE MATTER OF:**

Tahir HasanApplicant

Versus

State of Uttar Pradesh & OrsRespondents

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Reply Affidavit of Divisional Forest Officer Bijnor in compliance of order dated 07.07.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.	
3.	<u>Annexure R-1:-</u> A copy Letter No. 910/35-1 dated 27.08.2025	
4.	<u>Annexure R-2: -</u> A copy of the Letter No. 1008-10/फल-क्षमता मूल्यांकन/2024-25 dated 19.12.2025, issued by the District Horticulture Officer, Bijnor	
5	<u>Annexure R-3: -</u> True copies of the reports submitted by the committee constituted by the District Magistrate- Bijnor	
6	<u>Annexure R-4: -</u> A copy of the Letter No. 5347/22-1 dated 05.05.2025 issued by Opposite Party No. 03	
7	<u>Annexure R-5: -</u> A copy of the aforesaid letter along with Offence Report No. 25/Bijnor/2025-26	

8	<u>Annexure R-6: -</u> A copy of the felling permit	
---	---	--

Ankit Verma

THROUGH:


(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

A-15, FF, Nizamuddin East, New Delhi- 110013

**MOB:- 09990804440 Email-
ankit.scngtup@gmail.com**

DATED: - 18.01.2026



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 254 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Tahir HasanApplicant

Versus

State of Uttar Pradesh & OrsRespondents

REPLY AFFIDAVIT OF DIVISIONAL FOREST OFFICER

SOCIAL FORESTRY BIJNOR IN COMPLIANCE OF

ORDER DATED 07.07.2025 PASSED BY THIS

HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 3 herein states as under


MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Jai Singh Kushwaha aged about 30 years, s/o Sh. Ram Achal Kushwaha presently posted as divisional forest officer Bijnor, Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am abovementioned officer of the answering Respondent and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with

Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

प्रभागाय निदेशक
प्रशासनिक तानिकी प्रभाग
बिजनौर



the facts and circumstances of the instant case and are competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the affidavit which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent.
3. That the contents of the present affidavit have been prepared and drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.
4. That the deponent is posted as divisional forest officer Bijnor since October 2025.
5. That the present Original Application has been filed by the Applicant alleging illegal felling of approximately one hundred and fifty (150) mango trees purportedly standing on Khasra No. 129 of Mauja Gokalpur Kasam and Khasra No. 179 of Mauja



Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)


प्रशासक
विभागीय निदेशक
कृषि विभाग
बिजनौर

Murshidpur Bulaki, situated within the rural area of District Bijnor.

6. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 07.07.2025, was pleased to issue the following directions: -

"5. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

6. List on 13.10.2025."



7. That it is respectfully submitted that for the effective enforcement of environmental laws and for the protection and preservation of public utility land, in the larger interest of society, ecology, and sustainable development, the State and its concerned

Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

प्रमाणिक निदेशक
प्रशासनिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

departments are under a statutory and constitutional obligation to act diligently and in accordance with law.

8. That, in order to objectively examine and assess the allegations raised by the Applicant, the District Magistrate, Bijnor, constituted a committee vide Letter No. 910/35-1 dated 27.08.2025, comprising the following members:
- Sub-Divisional Magistrate, Bijnor — *Chairperson*
 - District Horticulture Officer, Bijnor — *Member*
 - Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bijnor — *Member*
 - Range Forest Officer, Bijnor — *Member*

A copy of Letter No. 910/35-1 dated 27.08.2025 is annexed herewith as **Annexure R-1**.

9. That Opposite Parties Nos. 04, 05 and 06 submitted an application seeking permission for felling of twenty (20) mango trees situated at Khasra No. 129 of Village Mauza Gokulpur Kasam admeasuring about 1-53 hectare owned in the name of Naveen Rana s/o Indraveer singh village Kachapura tehsil Bijnor district Bijnor Pursuant thereto, the matter was duly



Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

प्रमाणित निदेशक
राज्यस्तरीय वानिकी प्रसारण
बिजनौर

referred to the District Horticulture Officer, Bijnor, for site inspection and submission of a factual report.

10. That upon inspection, the District Horticulture Officer-District Bijnor vide Letter No. 1008-10/फल-क्षमता मूल्यांकन/2024-25 dated 19.12.2025, submitted a report categorically recording that the concerned mango trees were परिपक्व, रोगयुक्त एवं फल-उत्पादन क्षमता में अत्यधिक गिरावट i.e., fully matured, diseased, and suffering from a substantial decline in fruit-bearing capacity. During the course of inspection, it was further observed that a total number of 150 Trees were standing on Khasra No. 129, Village Mauza Gokulpur Kasam. A copy of the Letter No. 1008-10/फल-क्षमता मूल्यांकन/2024-25 dated 19.12.2025, issued by the District Horticulture Officer, Bijnor, is being annexed herewith as **Annexure R-2**.



11. That no harmful or prohibited chemical spray has been applied to the said mango trees, which fact stands conclusively established from the report of the

Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

प्रमाणित निदेशक
उपजातिगत वानिकी प्रभाग
बिजनौर

Range Forest Officer, Bijnor, vide Letter No. Memo/22-1 dated 05.05.2025, as well as from the joint inspection report dated 04.10.2025 submitted by the committee constituted by the District Magistrate, Bijnor. A copy of the aforesaid reports are annexed herewith collectively as **Annexure R-3**.

12. That it is further respectfully submitted that strict and appropriate legal action has been taken against the defaulters wherever violations were found. It is respectfully submitted that during the financial year 2024-25, an amount of ₹35.60 Lakhs has been recovered from offenders who committed offences under the Uttar Pradesh Tree Protection Act, 1976, as well as for illegal transportation of forest produce under the Uttar Pradesh Transport of Timber and Other Forest Produce Act, 1978. A copy of the Letter No. 5347/22-1 dated 05.05.2025 issued by Opposite Party No. 03 is being annexed herewith as **Annexure R-4**.



13. That it is also brought to the notice of this Hon'ble Tribunal that in respect of Khasra No. 129 of Mauza Gokulpur Kasam, illegal lopping of branches of twelve

Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

प्रमाणित निदेशक
प्रशासनिक तानिकी प्रभाग
बिजनौर

(12) mango trees was committed by certain offenders, in respect of which H-2 Offence Report No. 25/Bijnor/2025-26 has been duly registered, vide Office Letter No. 103/22-20 dated 19.08.2025. A copy of the aforesaid letter along with Offence Report No. 25/Bijnor/2025-26 is annexed herewith collectively as **Annexure R-5**.

14. That as a matter of fact there has been no instance of illegal felling of trees as alleged by the Applicant. However, where such incidents have occurred in past, immediate action has been initiated in accordance with law which is evident from the strict actions initiated by the District Administration as also mentioned above. Without prejudice and at the risk of repetition, it is reiterated that due permission for felling of twenty (20) mango trees was lawfully granted by Opposite Party No. 03 after due compliance of the prescribed procedure. A copy of the felling permit is being annexed herewith as **Annexure R-6**.



15. That in view of the foregoing facts, documents, and statutory compliance placed on record, it is most

Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

पंचायत समिति
प्रशासनिक वानिकी प्रभाग
बिजौर

respectfully submitted that the present Original Application is wholly misconceived, factually incorrect, and devoid of any merit.

16. That the allegations of illegal felling of trees are baseless and stand conclusively disproved by contemporaneous official records, inspection reports, and permissions granted strictly in accordance with law. The Respondent authorities have acted diligently, transparently, and in faithful discharge of their statutory obligations, and wherever minor violations were detected, prompt and effective legal action has already been initiated against the erring persons.

17. That the present Original Application, having been filed on unfounded assumptions and without any cogent evidence, deserves to be dismissed with costs in the interest of justice.



Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

Verification


DEPONENT
प्रमाणित निदेशक
कृषि वानिकी प्रभाग
बिजनौर

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.


On this 18th day of Jan, 2026


DEPONENT

प्रभागीय निदेशक
कृषि वानिकी प्रभाग
बिजनौर



Sworn before me on this 18th day of Jan, 2026
by Sanjay Singh Kushwahra
who has been identified by Self
who is personally known to me
whose signature (S) is/are here li appended


Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)-26
18.01.26

कार्यालय जिला अधिकारी, बिजनौर।

पत्रांक- 910 /35-1 बिजनौर, अगस्त, 27, 2025।

आदेश

श्री ताहिर हुसैन पुत्र श्री अमीर हुसैन निवासी ग्राम व पो0 हाजी मौहम्मद उर्फ कोटकादर, तह0 नगीना जिला बिजनौर द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में **Original Application No.254/2025 Tahir Husan Vs Uttar Pradesh Govt. and Others.** योजित की गयी है (पताका-01)। उक्त वाद में श्री ताहिर हुसैन द्वारा खसरा संख्या 129 मौजा गोकलपुर कासम तथा खसरा संख्या 179 ग्राम मुर्शीदपुर बुलाकी तह0 व जिला बिजनौर में स्थित 150 आम वृक्षों में हानिकारक कैमिकल डालकर सूखाने एवं अवैध रूप से पातन करने का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त प्रकरण की जाँच हेतु निम्न प्रकार उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जाँच समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|----------|
| 1. उप जिलाधिकारी, बिजनौर | अध्यक्ष। |
| 2. जिला उद्यान अधिकारी, बिजनौर | सदस्य। |
| 3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर। | सदस्य। |
| 4. क्षेत्रीय वनाधिकारी, बिजनौर | सदस्य। |

उपरोक्त गठित समिति से अपेक्षा की जाती है कि उक्त समिति एक सप्ताह के अन्दर जाँच कर रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर को प्रेषित करेगी।

(जसजीत कौर)

जिलाधिकारी, बिजनौर।

संख्या- / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।
- 2- उप जिलाधिकारी, बिजनौर।
- 3- जिला उद्यान अधिकारी, बिजनौर।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर।
- 5- क्षेत्रीय वनाधिकारी, बिजनौर।

(जसजीत कौर)

जिलाधिकारी, बिजनौर।

Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

जिला उद्यान अधिकारी,
बिजनौर।
सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
बिजनौर रेंज,
जनपद- बिजनौर।

पत्रांक: 1008-10 / फलक्षमता मूल्यांकन / 2024-25 / दिनांक: 13-12-2024

विषय : आम के वृक्षों की फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में आख्या देने विषयक।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक- 426/27-18-3/दिनांक 16-12-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री नवीन राणा पुत्र श्री इन्द्रवीर सिंह, निवासी ग्राम कच्छपुरा तहसील व जिला बिजनौर के काश्तकारी मौजा गोकलपुर कासम परगना व तहसील व जिला बिजनौर के खाता सं०-00177 खसरा/गाटा सं० 129, रकबा 1.530 है० में स्थित आम प्रजाति के कुल 20 वृक्षों की फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में आख्या/संस्तुति/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वॉछना की गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त बाग का निरीक्षण श्री अरविन्द कुमार, उद्यान निरीक्षक से कराया गया उनके द्वारा दिनांक 18-12-2024 को मौके का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण आख्या के अनुसार उक्त गाटों/खेत संख्याओं में मौके पर खड़े बाग में लेखपाल की आख्या के अनुसार कुल 170 आम के वृक्ष बाग में खड़े हैं, जिनमें से कृषक द्वारा चिन्हित आम के कुल 20 वृक्षों की फलदायी क्षमता का आंकलन किया गया। (निरीक्षण के समय आम के चिन्हित 20 वृक्ष आम के काफी पुराने, परिपक्व एवं रोग ग्रस्त होना पाया गया।)

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक- डी०एच०-2600-2707 / दिनांक 25-2-2013 के द्वारा फलदार वृक्षों का मूल्यांकन सम्बन्धी दिशा-निर्देश में आम कलमी के फलत की औसत आयु 50 वर्ष मानी गयी है। साथ ही Central Institute for Subtropical Horticulture, Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow के पत्र सं०-47-14/RTI-2005/ 2012-13/3764, Dated 17-9-2012 के बिन्दु-1 में आम वृक्षों के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि "Productive age of mango tree is not fixed. Peak productive age of mango tree however in fact to vary from 20 to 40 year is found". हालांकि यदि कृषक/बागान मालिक द्वारा आम के पेड़ों की उचित देख-भाल (समय पर खाद/उर्वरक, दवाई, सिंचाई एवं कटाई/छटाई आदि कार्य) किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फलदायी क्षमता की अवधि उक्त आयु से अधिक भी हो सकती है।

अतः उक्त खाता सं०-00177 खसरा/गाटा सं० 129, रकबा 1.530 है० में कृषक द्वारा चिन्हित किये गये 20 वृक्ष आम के काफी पुराने, परिपक्व एवं रोग ग्रस्त होने के कारण प्रथमदृष्टया उक्त कुल 20 वृक्षों की फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट आ गयी है। आख्या सूचनार्थ प्रेषित।
संलग्न:- उक्तानुसार कृषक की मूल पत्रावली।

भवदीय

(राम-नारायण वर्मा)
जिला उद्यान अधिकारी
बिजनौर

पृष्ठांक सं०:-

दिनांक उक्त

प्रतिलिपि:- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- जिलाधिकारी, बिजनौर महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

जिला उद्यान अधिकारी

प्रमाणित निदेशक
प्रशासनिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय

बिजनौर

विषय:- खसरा संख्या-129 मौजा गोकलपुर में खड़े आम के हरे वृक्षों के संबंध में जांच आख्या।

सन्दर्भ:- आपका पत्र संख्या-910 दिनांक 27.08.2025

महोदय,

दिनांक 04.10.2025 को राजस्व व वन विभाग उद्यान विभाग व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर की टीम द्वारा मौके पर जाकर खसरा संख्या-129 में खड़े हरे आम वृक्षों की जांच की गयी। खसरा संख्या-129 मौजा गोकलपुर कासम में वर्तमान में 150 आम के हरे वृक्ष सुरक्षित खड़े हैं जबकि कुल 170 आम वृक्षों में से परमिट संख्या-300600 दिनांक 09.02.2025 द्वारा 20 रोगग्रस्त आम वृक्षों का पातन हो चुका है। मौके पर खसरा संख्या-129 मौजा गोकलपुर कासम व खसरा संख्या-179 मौजा मुर्तजापुर बुलाकी में वर्तमान में 15 पंक्तियों में कुल 168 आम के हरे वृक्ष सुरक्षित खड़े हैं। गाटा संख्या-129 में ना तो सड़क है और न ही कोई अन्य निर्माण कार्य चल रहा है। गाटा संख्या-179 मौजा मुर्तजापुर बुलाकी से सटे अन्य खसरा में चाहरदीवारी बनाई जा रही है। जिसका बाग के खसरा संख्या-129 व 179 से कोई वास्ता नहीं है।

Rahil Rana

राणा
(सहेल कुमार)
लेखपाल
क्षेत्रीय लेखपाल
तहसील-बि

मौजा-गोकलपुर कासम
क्षेत्र-मुर्तजापुर बुलाकी

जिला उद्यान अधिकारी
बिजनौर।

नायब तहसीलदार
सदर बिजनौर।

M.S.

(मदनपाल सिंह)

वन दरोगा

सैक्शन प्रभारी

बिजनौर।

Q

क्षेत्रीय वन अधिकारी
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेज-बिजनौर
बिजनौर।

M. Misra


सहायक पर्यावरण अभियन्ता

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बिजनौर।

उपजिलाधिकारी

मदन बिजनौर।



Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

प्रभागीय निदेशक
प्रभागीय वानिकी प्रभाग
बिजनौर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।

पत्रांक 5347/22-1 बिजनौर दिनांक 05 मई, 2025।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
बिजनौर।

विषय:- आई0जी0आर0एस0 सं0- 40013425008059 के निस्तारण विषयक।
महोदया,

उक्त सन्दर्भित आई0जी0आर0एस0 से शिकायतकर्ता द्वारा निजी भूमि पर आम के हरे वृक्षों को भू-माफियाओं द्वारा जहरीला कैमिकल डालकर तथा वृक्षों को सुखाकर अवैध कालोनियों के निर्माण करने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है।

आप अवगत ही है कि जनपद बिजनौर में आम वृक्षों के पातन परमिट के सम्बन्ध आयुक्त महोदय मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद के पत्रांक 34/तीन-12(2022-23) रा0 सहा0-1/दिनांक 09.10.2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी बिजनौर के पत्रांक 836-40/पातन/2023-24/दिनांक 12.12.2024 द्वारा गठित समिति, जिला उद्यान अधिकारी बिजनौर द्वारा आम वृक्षों की फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट की रिपोर्ट, उपजिलाधिकारी बिजनौर, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिजनौर की रिपोर्ट एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर की संस्तुति तथा समस्त अभिलेखीय औपचारिकतायें पूर्ण कराने के पश्चात उ0प्र0 शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 24/81-5-2020-07-93, लखनऊ दिनांक 07.01.2020 द्वारा जारी अधिसूचना के बिन्दु 2 में निहित व्यवस्था एवं उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जाचोंपरान्त ही कृषक श्री नवीन राणा पुत्र इन्द्रवीर नि0 कच्छपुरा तहसील व जिला बिजनौर की निजी काश्त मौजा ग्राम गोकलपुर कासम परगना, तहसील व जिला बिजनौर के खाता संख्या-129 खसरा जो सम्बंधित लेखपाल द्वारा निर्गत तथा तहसीलदार बिजनौर द्वारा प्रमाणित है, में स्थित कुल 170 आम वृक्षों में से केवल 20 आम वृक्षों की पातन अनुज्ञा निर्गत की गयी थी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिजनौर द्वारा करायी गयी स्थलीय जाँच में शेष 150 आम वृक्ष मौके पर खड़े हैं। उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में तहसील बिजनौर में किसी आम वृक्ष की पातन अनुज्ञा निर्गत नहीं की गयी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिबंधित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन के प्रकरणों में उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 तथा उ0प्र0 इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 की सुसंगत धाराओं में सम्बंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, वर्ष 2024-25 में प्रतिबंधित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन एवं अवैध अभिवहन से 35.60 लाख प्रतिकर/जुर्माना उ0प्र0 सरकार को प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त शिकायत में अंकित बिन्दु वृक्षों को कैमिकल डालकर सुखाने, अवैध कालोनियों का निर्माण करने सम्बन्ध कार्यवाही वन विभाग के स्तर से अपेक्षित नहीं है तथा राजस्व विभाग के लेखपाल एवं नायब तहसीलदार सदर बिजनौर, तहसीलदार बिजनौर के सम्बन्ध में शिकायत में अंकित बिन्दुओं पर आख्या भी वन विभाग के स्तर से अपेक्षित नहीं है।

अतः उक्त बिन्दुओं की जाँच राजस्व विभाग एवं पर्यावरण विभाग तथा उद्यान विभाग के स्तर से करायी जा सकती है।

सूचीय
(सूरी)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।

पत्रांक 5347/33-3 उक्तदिनांकित।

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- उपजिलाधिकारी, सदर बिजनौर।
 - 2- तहसीलदार सदर बिजनौर।
 - 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर।
 - 4- जिला उद्यान अधिकारी, बिजनौर।

(सूरी)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।



Sanjay Kumar
Notary, BIJMOR (U.P.)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

रेंज रेकर्ड - 25 / विजयनगर / 2025-26

जीपीओ एचओ - रिजिंग
N- 29. 408218
E- 78. 157638

113/010/25/26

बुक नं० 09

नं० 26

वन आकार पत्र सं० एच-2

वन विभाग 3050 परिधि (सर्किल) सुरदावाट खण्ड (डिवीजन) विजयनगर
धारा 4/10 उ०प्र० वृ० सं० प्र० 1976


वन्ध अपराध प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 18/08/25 अधिकेत्र (रेंज) विजयनगर रेंज
धारा 3/28 उ०प्र० वृ० सं० प्र० 1976 एवं अन्य वन उपज निप्रभावली-1978

1. नाम, पिता का नाम और निवास - श्री गौरव राणा 3/0 रुन्डीट सिट्टे नि० कच्छपुरा पो० नयागांव तह० व जि० विजयनगर
श्री नवीन राणा 3/0 रुन्डीट सिट्टे नि० कच्छपुरा पो० नयागांव तह० व जि० विजयनगर
श्री नीरज कुमार 3/0 रुन्डीट सिट्टे नि० जी-23 गुंजाबैसल बोलानी स्पे जंगल विभाग
2. साक्षी का नाम श्री मदन पाल सिंह वन दरोगा सेक्टर 6 गढ़ रोड मेरठ व हनुमान जी की अवैध रूप से लौपिंग
3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 18/08/25 को निजि मुमि से 12 आम वृक्षों की लौपिंग (सख तरासी) किया जाना /
4. मूल्य
5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन विक्रेता / जांच प्रचलित है

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख महोदय आज दिनांक 18.8.2025 समय लगभग 4.20 PM

को मैं अपने हमराह श्री मदनपाल सिंह वन दरोगा को साथ साथ राप्डी में हरित अधिकरण नरि फिटली में प्रचलित और ए० संख्या - 254/2025 तारीख 18/08/25 को संख्या 29.408218 व देशान्त 78.157638 ग्राम पैदा की जांच करने पर तो आम वाग में 12 आम वृक्षों की लौपिंग बिना अनुमति के होना पाया गया। इस संबंध में श्री गौरव राणा 3/0 रुन्डीट सिट्टे निवासी गांव कच्छपुरा पोस्ट-नयागांव विजयनगर-246701 नवीन राणा पुत्र रुन्डीट सिट्टे राणा नि० उपरोक्त, श्री नीरज कुमार सिट्टे 3/0 रुन्डीट सिट्टे निवासी जी-23 गुंजाबैसल बोलानी जागह विभाग सेक्टर 6 गढ़ रोड मेरठ से उक्त लौपिंग किया जाने को अनुमति के संबंध में जानकारी की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये। इसका मतलब उक्त तीनों ट्वाबेतरों ने प्रश्रुत आम वाग में लौपिंग करने से पूर्ण कोर अनुमति संबंधित विभागों से गयी ली गई जो उक्त प्रपेरा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 व उ०प्र० वृ० सं० प्र० 1976 व अन्य वन उपज निप्रभावली-1978 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः एच-2 केस रजरा किया जाता है।

Himani
(हिमानी)
वनरक्षक
वीट प्रभारी-विजयनगर



Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

प्रमाणित निदेशक
कृषि वानिकी प्रभाग
विजयनगर

सेवा में
प्रशासक निदेशक
एन वन प्रभाग
बिजनौर
 मंडल, शुभ देवराज-बडा/बिजनौर/उ.प्र.-85
मूल प्रति सूचना एवं आवेदन कार्यवाही हेतु प्रेषित
सकल

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 बिजनौर

रोहित
 प्रकरण में अभियुक्तों के विरुद्ध
 अभिष्ट विचार कार्यवाही कलम 810
 अ.प.वि.वि. अधिनियम में

श्री. लक्ष्मी - लक्ष्मी
 को उक्त कार्यवाही करवाई है।
सकल
रोहित



Sanjay Kumar
 Notary, BIJNOR (U.P.)

प्रमाणित निदेशक
 प्रशासक वानिकी प्रभाग
 बिजनौर



वन विभाग (उ० प्र० सरकार)

Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)

71

o/c

R-6



वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

(शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग -2488/14-5-2002-7/93 दिनांक 28/12/2002)
(अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित) प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग, 3000600 संख्या दिनांक 09/02/2025

सेवा में ,
श्री/श्रीमती/कुमारी NAveen Rana
तहसील: BIJNOR
डाक: Khas
क्षेत्र: ग्रामीण
पत्नी/पुत्र/पुत्री Inderveer
श्री: Inderveer
परगना: विजनौर
ग्राम सभा: Kachnura
ज़िला: बिजनौर
थाना: Bijnor
गांव: Kachpura

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा -5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों) को गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन दिनांक 06/02/2025 और जाँच अधिकारी की सिफारिश के आधार पर वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	प्रजाति का नाम	132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि(से.मी. में)	वृक्ष को गिराने का कारण	वन-दरोगा द्वारा दिया गया 132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि (से.मी.)	वन-दरोगा द्वारा दिया गया वृक्ष को गिराने का कारण
1 आम		172 प्रौढ़, रोगग्रस्त		172 परिपक्व फसल में बाधक	
2 आम		180 प्रौढ़, रोगग्रस्त		180 परिपक्व फसल में बाधक	
3 आम		182 प्रौढ़, रोगग्रस्त		182 परिपक्व फसल में बाधक	
4 आम		190 प्रौढ़, रोगग्रस्त		190 परिपक्व फसल में बाधक	
5 आम		192 प्रौढ़, रोगग्रस्त		192 परिपक्व फसल में बाधक	
6 आम		200 प्रौढ़, रोगग्रस्त		200 परिपक्व फसल में बाधक	
7 आम		202 प्रौढ़, रोगग्रस्त		202 परिपक्व फसल में बाधक	
8 आम		206 प्रौढ़, रोगग्रस्त		206 परिपक्व फसल में बाधक	



Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

<http://upforest.gov.in/PaymentSuccessFellin>

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

विभाग (उ० प्र० सरकार)
Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)



9 आम	210 प्रौढ़, रोगग्रस्त	210 परिपक्व फसल में बाधक
10 आम	210 प्रौढ़, रोगग्रस्त	210 परिपक्व फसल में बाधक
11 आम	212 प्रौढ़, रोगग्रस्त	212 परिपक्व फसल में बाधक
12 आम	216 प्रौढ़, रोगग्रस्त	216 परिपक्व फसल में बाधक
13 आम	222 प्रौढ़, रोगग्रस्त	222 परिपक्व फसल में बाधक
14 आम	225 प्रौढ़, रोगग्रस्त	225 परिपक्व फसल में बाधक
15 आम	234 प्रौढ़, रोगग्रस्त	234 परिपक्व फसल में बाधक
16 आम	235 प्रौढ़, रोगग्रस्त	235 परिपक्व फसल में बाधक
17 आम	238 प्रौढ़, रोगग्रस्त	238 परिपक्व फसल में बाधक
18 आम	240 प्रौढ़, रोगग्रस्त	240 परिपक्व फसल में बाधक
19 आम	250 प्रौढ़, रोगग्रस्त	250 परिपक्व फसल में बाधक
20 आम	265 प्रौढ़, रोगग्रस्त	265 परिपक्व फसल में बाधक

राशि : 20000.00

एन एस सी
संख्या: 020145838470 date
06.02.2025

डाकघर का नाम 'bijnor

उपयुक्त वृक्ष श्री Naveen Raña पुत्र श्री Inderveer के नाम से अभिलिखित प्लॉट संख्या 129 रकबा 1.530 जिला बिजनौर तहसील BIJNOR परगना बिजनौर ग्राम सभा Gokalpur Kasam थाना Bijnor गांव Gokalpur Kasam डाक Khas में स्थित है।

- आवेदक ने प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के स्थान पर दस पौधे रोपित करने और उनकी पश्चातवर्ती देख-रेख के लिए डाक घर बचत पास व राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रति पौधे 1000/- ₹ सक्षम प्राधिकारी को पदनाम से गिरवी रखी गयी प्रतिभूति की धनराशि उक्त पत्र की स्थापना पर छः वर्ष के पश्चात् वापस कर दी जाएगी। कटान अवधि में कटान स्थल पर उपस्थित मुहरिर का दैनिक पारिश्रमिक
- जिस दिन से कटान शुरू होगी, अनुज्ञा धारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह पातन प्रारंभ करने से पूर्व सम्बंधित वन क्षेत्राधिकारी जिस तिथि से पातन पत्र जारी हो रहा है वह सूचना करेगा ताकि शासनादेश संख्या ४३४ के प्रस्तर दिए गये निर्देशों की वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अनपालन सुरक्षित किया जा सके।



Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

प्रमाणित
विज्ञापक वानिकी प्रमाणित
बिजनौर



वन विभाग (उ० प्र० सरकार)
Department of Forest (Government of Uttar Pradesh)



3. सेक्शन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करा के आवेदक को पातन अनुज्ञा की प्रति हस्तगत करायें एवं अनुपालन आख्या से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को अवगत करा दें ।
4. अनुमति शुल्क की राशि 100 रुपया प्रति वृक्ष रैंज कार्यालय में जमा करायें ।
5. इस पातन अनुज्ञा हेतु सम्बंधित क्षेत्र के सेक्शन अधिकारी पातन अनुज्ञा अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं, जो कि शासनादेश संख्या 434/14-5-2013 दिनांक 11/03/2013 में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे ।
6. यह पातन अनुज्ञा पत्र दिनांक 09/02/2025से15/02/2025 तक विधिमान्य होगा ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर

संख्या. 3000600 दिनांक: 09/02/2025 पत्रांक : 3978

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रसारित ।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी /बिजनौर
2. वन क्षेत्राधिकारी बिजनौर ...जिला बिजनौर
3. थानाध्यक्ष Bijnor जिला बिजनौर
4. उपजिलाधिकारी BIJNOR....जिला बिजनौर
5. प्रभारी सुरक्षा बल बिजनौर...जिला बिजनौर

प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर(सावा) वन प्रभाग

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर



Sanjay Kumar
Notary, BIJNOR (U.P.)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर